हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

की

अष्टम बोर्ड बैठक

का

कार्यवृत्त

दिनांक 12.08.2002

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

स्थान :

कार्यालय, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ

हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण की अष्ठम बोर्ड बैठक

दिनांक 12.08.2002 का कार्यवृत्त

दिनांक 12.08.2002 को आयुक्त मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, आयुक्त महोदय के कार्यलय कक्ष मेरठ में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

1.	श्री एन0एस0 रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4.	श्री अजय दीप सिंह	अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गाजियाबाद (जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5.	श्री बी0के0 अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6.	श्री सी0एच0 सत्यनारायण	एसोसियेट प्लानर एन0सी0आर0 सैल गाजियाबाद (चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 सैल के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित एवं अन्य उपस्थिति :–

1.	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड
2.	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपर जिला अधिकारी (भूमि–अध्याप्ति) गाजियाबाद
3.	इं0 आर0एस0 शर्मा	अधिशासी अभियन्ता हापुड–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड

वैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार है :—

मद सं0	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2002 की कार्यवाही की पुष्टि	हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2002 के कार्यवृत्त की प्रतियां सभी उपस्थित सदस्यों को प्रेषित की गयी थी। बैठक का कार्यवृत्त पुनः उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया। कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि होती है।
2.	प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2002 की अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3.	प्रीत विहार हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूअर्जन की दरो के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जिला अधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में शासना देश संख्या 1718/1–13–2001–20(124)/2001/रा0 दिनांक 29.09.2001 के क्रम में गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.08.2002 के विस्तृत कार्यवृत्त का संज्ञान लिया गया। जिलास्तरीय समिति द्वारा ग्राम अछेजा के कृषकों एव हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के मध्य समझौते द्वारा तय की गई प्रतिकर की दर रु0 205/– (दो सौ पांच) प्रति वर्ग मीटर का अनुमोदन आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा प्रदान करने हेतु संस्तुति की गई है। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कृषको एवं हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के मध्य य दिनांक 19.01.2002 को समझौते को

(x) दिनांक 30.8.2002 (प्रतिलिपि संलग्न)

शर्तो के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि [illegible] प्राधिकरण द्वारा अपनी वित्तीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यथासम्भव विकास कार्य कराये जाये। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2002 के मद संख्या 05 पर हुए निर्णय के क्रम में ऐसे खसरा नम्बरों जिन पर पुराने आवासीय भवन बने है के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण मेमो (x) का अवलोकन किया गया। ग्राम अछेजा के गाटा संख्या 307, 315 एवं 319 के कुल 0.4500 हे0 क्षेत्र फल पर पुराने अवासीय भवन है। इस क्षेत्रफल को छोड कर शेष समस्त भूमि जिसके भू अर्जन हेतु विज्ञाप्ति जारी हुई है को अर्जित किया जायेगा। प्रधिकरण द्वारा सभी कृषको से करार कराए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। योजना के जो कृषक करार नहीं करेंगे उनकी भूमि के सम्बन्ध में भू अध्याप्ति अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

17/8/2002

(मुक्तेश मोहन मिश्र)

उपाध्यक्ष

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

12.8.2002

(एन.एस. रवि)

मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/

अध्यक्ष, हा.पि.वि. प्राधिकरण